राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.) ☏0141–2722520

क्रमांकःप.14(44)RSMSSB/अर्थना/लिपिक ग्रेड–II/2018/ 1669 दिनांकः 4/2/2020

–:: विज्ञप्ति ::–

लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2018 में 2.50 से कम पारिवारिक वार्षिक आय से अधिक आय वाले परन्तु कम भरने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के अंतर की राशि प्रार्थना पत्र मय पोस्टल ऑर्डर आमंत्रित करने बाबत

बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2018 के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः प. 8(3) कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम है, के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा।

बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2018 के कई अभ्यर्थियों ने 2.50 से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय होने के बावजूद त्रुटिपूर्ण तरीके से 2.50 लाख से कम आय दर्शाते हुए आवेदन किया है। इस प्रकार उनके द्वारा अपेक्षित पूर्ण शुल्क जमा नहीं कराया गया है। इस भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निरंतर रूप से बोर्ड कार्यालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर शुल्क की अंतर राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

बोर्ड की बैठक दिनांक 03.02.2020 में ऐसे प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु प्रदत्त अवसर के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थी अपेक्षित पूर्ण शुल्क की अन्तर राशि भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में मय प्रार्थना पत्र बोर्ड कार्यालय में दिनांक 10.02.2020 तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। इस हेतु यह प्रथम एवं अंतिम अवसर होगा। उक्त अवधि में शुल्क की अन्तर राशि सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों का उक्त पद पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके बाद इन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव